हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 8 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

सैकड़ों मतदाताओं के ज्ञापन पर आधारित होगी आरक्षित सीटों के रोटेशन की याचिका

समता आन्दोलन का देश के भविष्य के लिए बड़ा कदम

आजादी के 74 साल बाद भी जाति आरक्षण का सुफल देश को नहीं मिला है। समता आन्दोलन ने देश में पहली बार विधानसभा और संसदीय सीटों को रोटेशन से आरक्षित करने के मुद्दे पर बडी अदालत में जाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरूआत राजस्थान विधानसभा से की जानी निश्चित हुई है। पहले चरण के रूप में प्रदेश में आरक्षित 59 विधानसभा सीटों और 07 लोकसभा सीटों से दस-दस नागरिकों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजे जायेंगे। अगले चरण के रूप में ये ही ज्ञापन भेजने वाले नागरिक बड़ी अदालत में जनहित याचिका दाखिल करके विधानसभा और संसदीय सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित करने की मांग करेंगे।

ज्ञापन दाताओं का कथन है कि

आप यह भली भांति जानते है कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था। उसके पश्चात यह स्वत: समाप्त हो जाना था। 10 वर्ष के बाद इस आरक्षण की पुनर्समीक्षा नहीं करने का निर्णय संविधान निर्मात्री सभा में बाकायदा बहस के बाद सोच विचार करके लिया गया था। अत: 10 वर्ष पश्चात यह आरक्षण स्वत: समाप्त होने का प्रावधान संविधान की मूलभूत संरचना का एक अंग है। अब इस असंवैधानिक आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में अनेकों याचिकाए 20 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपरोक्त याचिकाओं के सामुहिक निर्णय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो बार संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया जा चुका है लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है।

ज्ञापन दाताओं ने प्रार्थना की है कि जब तक उपरोक्त याचिकाओं का अंतिम निर्णय हो पाता है तब तक के लिए सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्र का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण चक्रीय प्रणाली (रोटेशन सिस्टम) से कर दिया जावे। जैसा कि जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, पंच, वार्ड मेम्बर आदि के मामलों में कानून बनाकर किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए चक्रीय आरक्षण की व्यवस्था अलग.अलग की जावे। और जब तक सांसदों एवं विधायकों के राज्यवार सभी क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक.एक बार नहीं हो जाए तब तक प्रथम बार आरक्षित क्षेत्र को दुबारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित नहीं किया जावे।

इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवा एवं प्रखर नेताओं को पूरे राज्य एवं देश में आगे बढने का मौका मिलेगा, गैर अनुसूचित जाति-जनजाति के नागरिकों को पूरी जिन्दगी अपने इच्छित नेतृत्व को मत देने से वंचित नहीं रहना पडेगा, केवल एक या दो टर्म के पश्चात वे भी निर्वाचन में भागीदारी निभा सकेंगे। सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होगी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की एक भी सीट कम नहीं होगी, जातिवादी राजनीति खत्म होगी, विकासवादी राजनीति बढेगी, सभी वर्गों में सदभाव व भाईचारा बढेगा, देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा।

न्यायिक सेवा में आरक्षण के विरोध में भड़का आक्रोश

जयपुर। प्रदेश में न्यायिक सेवा में राज्य सरकार द्वारा एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लगभग एक दर्जन लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट करने वाला ज्ञापन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है।

ज्ञापन में लिखा गया है कि राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा वोटों की राजनीति करते हुये गुर्जर सहित पांच जातियों को बार-बार अविधिक एवं असंवैधानिक रूप से 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और अन्तरिम आदेशों सहित संविधान के प्रावधानों की खुले रूप में जानबूझ कर न्यायपालिका को नीचा दिखाते हुये अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में आपके समक्ष याचिका संख्या 9398/2019(जोधपुर), 4565/2019 (जयपुर) अरविन्द कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य लम्बे समय से लम्बित है।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक तथ्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधिशों द्वारा पहले तो उपरोक्त याचिका को बिना किसी कारण के जोधपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। पूरी सुनवाई हो जाने के बाद भी आज तक निर्णय नहीं किया गया है। राज्य सरकार लगातार अविधिक और असंवैधानिक रूप से गुर्जर सहित पांच जातियों के अभ्यर्थियों को सैकड़ों-हजारों की संख्या में नौकरियों व शिक्षा के पद बांटती जा रही हैं। राजस्थान राज्य के योग्य एवं पात्र उम्मीदवारों के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों को सरे आम लूटा जा रहा हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशगण मूक दर्शक बन कर देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न्यायाधीशगण राज्य सरकार से डरे हुये है या किसी अन्य कारणों से दबे हुये हैं।

कुछ न्यायधिशों द्वारा यह आदत बना ली गई हैं कि राज्य सरकार की किसी अविधिक एवं असंवैधानिक कार्यवाही को रोकते नहीं है, कोई स्थगन आदेश नहीं दिया जाता है और बार-बार तारीखें देकर के राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की लगातार अवहेलना करने का अवसर दिया जाता है। बाद में निर्णय खिलाफ आने पर भी तब तक की असंवैधानिक नियुक्तियों को नियमित कर दिया जाता है। प्रदेश में ऐसा माहोल बन रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशगण अविधिक, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक गतिविधियों को लगातार संरक्षण देकर राजस्थान उच्च न्यायालय की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

ज्ञापन में प्रार्थना की है कि उपरोक्त याचिका में तत्काल न्यायसंगत निर्णय दिलावें, बेरोजगारों को न्याय दिलावें, स्वतंत्र जांच करवाकर दोषी न्यायधिशों और अधिकारियों को दण्डित करावें। यदि यह कार्यवाही तत्काल नहीं की गई तो हमें मजबूर होकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, केन्द्रीय विधि मंत्री महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिशगण एवं राज्यसभा व लोकसभा के सांसदों से ऐसे न्यायाधिशों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने को मजबूर होना पड़ेगा। यह ज्ञापन सभी जजों को, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, अध्यक्ष, बार एशोसियेशन एवं 100 प्रतिष्ठित वकीलों को न्यायपालिका की गरिमा बचाने के लिए उचित कार्यवाही की प्रार्थना के साथ प्रेषित किया गया है। ज्ञापन की प्रति समता आन्दोलन के अध्यक्ष को भी दी गई है।

नौकरियों में आरक्षण समाप्ति का पहला कदम

18 अगस्त केन्द्रीय कैबिनेट निर्णय के अनुसार अब देश भर में नौकरियों के लिए एक ही एकीकृत परीक्षा हुआ करेगी। और पैनल में आये युवाओं को केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारों, सरकारी उपक्रमों के साथ निजी क्षेत्रों में भी नौकरी के लिए आमंत्रित किया जायेगा। पैनल तीन साल तक मान्य रहेगा।

एकीकृत परीक्षा के बाद मैरिट का पैनल बनना आरक्षण की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एव जनजाति को केवल आयु में छूट देने की बात कही गई है। जैसा कि न्यायिक व्यवस्था है आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ किसी भी पद के लिए केवल एक बार ही मिल सकता है। तीसरी बात ये कि राजनैतिक लाभ के लिए प्रदेश सरकारें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत को लांघने की प्रवृति से बच सकेगी।

अध्यक्ष की कलम से

जरूरी है आरक्षित सीटों का रोटेशन

साथियों,

समता आन्दोलन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि हम विधानसभा व लोकसभा की आरक्षित सीटों को रोटेशन से आरक्षित करवाने के लिए उन्हीं क्षेत्रों के मतदाताओं से एक सामूहिक रिट लगवा रहे हैं। कृपया आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली आरक्षित श्रेणी की लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं से हमारी वेबसाइट पर दिया गया ज्ञापन वैसा का वैसा एक एक सादे पत्रे पर प्रिन्ट/ टाइप करवाकर चारों पतों पर पंजीकृत डाक के जरिये भिजवाएं।

भेजे गए चारों ज्ञापनों की हस्ताक्षरशुदा आफिस कॉपी व रजिस्टर्ड कराने की रसीद भी समता के प्रदेश मुख्यालय पर पंजीकृत डाक से भिजवाएं। एक ज्ञापन पर अधिकतम दस मतदाताओं के हस्ताक्षर करवाने हैं। प्रत्येक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी मतदाताओं से दो-दो वकालतनामों पर भी हस्ताक्षर करवाकर एवं उनके आधार कार्ड की प्रति समता प्रदेश मुख्यालय भिजवाने हैं। ज्ञापन भेजने वाले व्यक्ति विश्वास के और मजबूत इरादे के हों। यदि आप स्वयं किसी आरक्षित संसदीय/विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं तो आप भी ये ज्ञापन भेज सकते हैं। ज्ञापन भेजने वालों को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली रिट में याचिकाकर्ता बनाया जाना है। ज्ञापन भेजने वालों मे समता या किसी संगठन का नाम नहीं आना चाहिए।। याचिका का खर्च समता द्वारा वहन किया जायेगा। कृपया इसे गंभीरता से लेवें। सादर।

सम्पादकीय

नीति नियम नैतिकता !!!

एक सामान्य कथन है कि भले ही न्याय न हो लेकिन होता हुआ दिखाई देना चाहिये। लेकिन ऐसा तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं हो रहा है। ठीक इसी तर्ज पर कहा जाता है कि भले ही सरकार काम नहीं करे लेकिन करती हुई दिखाई देनी चाहिये। दुर्भाग्य से इसे भी आंकड़ो से प्रमाणित किया जाना संभव नहीं हैं।

हमारा इशारा कोरोना वायरस बीमारी की तरफ नहीं हैं। क्योंकि सच में कोरोना शताब्दि नहीं बल्कि सहस्त्राब्दि का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया है। गॉव के नीम हकीम से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक लगातार भ्रम को ही सच मानकर तरह-तरह की घोषणाऐं कर रहें हैं। फिर भी कोरोना अंधों का हाथी बनकर रह गया है। हाँ! कथित सरकारों को, जनता को कीड़ा मकौड़ा समझने की छूट अवश्य दे दी है- कोरोना ने। कई जगह तो सरकार आंतकी से भी अधिक भयानक दीखने लगीं। जब एक सरकार ने नियम बना दिया कि यदि कोई इन्सान मास्क नहीं पहनेगा तो उसे एक लाख रूपये की पैनल्टी लगेगी।

एक लाख रूपये की पैनल्टी प्रमाण है कि देश में संविधान या तो है नहीं और है तो उसे सात तालों में बंद कर दिया गया हैं। अब जिसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं। बस केवल मनमानी। वैसे कानून भी एक व्यापक नैतिकता ही है। अन्यथा लोक विश्वास और मान्यता तो सदियों से यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऊपर से कथित मीडिया का बेलगाम चेहरा!

संसद जो राष्ट्रीय चरित्र का सर्वोच्च प्रमाण हुआ करती थी अब पार्टियों के लूटतंत्र का संग्रहालय बनकर रह गई है। वरिष्ठता और योग्यता का सर्वोच्च प्रासाद संसद भवन अपने खम्भों पर अवश्य ही शर्मिन्दा होता होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में से किसे अपनी गरिमा और गुणधर्मिता के साथ स्वीकारा जा सकता है?

राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन दिनों जिस तरह जनता से कटे हुए हैं ऐसा भारत के इतिहास में कभी भी हुआ हो इसका कोई प्रमाण देना कठिन हैं।

अब जातिवाद, धार्मिक उन्माद और तदर्थवाद ही व्यवस्था की पहचान बनकर रह गये है। प्रशासन की सहज गति और कर्तव्यनिष्ठा ढूंढने चलें तो दिन और रात का कोई फर्क नहीं मिलेगा। एक समय था जब भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में सब को हम समझने का संकल्प रखता था। आज हम को हम कह पाने से पहले भी गंभीर होकर सोचना पड़ता है। देश के करोड़ों लोग दुख और परेशानी में जीवन जी रहे है, तड़प रहे हैं लेकिन अपना दुख वे किसे सुनाऐं ये बड़ा प्रश्न है। देश ने हाल ही स्वतंत्रता के 74 साल पूरे किये हैं। एक साल बाद भारत आजादी की हीरकजयंति मनायेगा। कुल 130 करोड़ लोगों के साथ 75 वाँ आजादी दिवस शुभ और अभ्युदयकारी हो ऐसी सद्इच्छा प्रकट तो की जा सकती है!

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

लोकतंत्र को प्राणवंत बनायेगा सीटों का रोटेशन

देश के चुनाव आयोग में लगातार ऐसे पत्र और ज्ञापन पहुंच रहे है जिनमें जाति आरक्षण के कारण 25-25 सालों तक आरक्षित हुई विधायक और सांसद की सीटों को रोटेशन से आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इन सभी का चुनाव आयोग का एक रटा-रटाया उत्तर दिया जा रहा है- ''विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित की जाती हैं। मौजूदा कानून के तहत विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।''

चुनाव आयोग के इस उत्तर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोकतंत्र की जिज्ञासा और मंशा संतुष्ट होती हो। भले ही इस आयोग के पास असीम शक्तियॉ हैं लेकिन वे सभी केवल चुनावों को निर्विध्न सम्पन्न करा देने तक सीमित हैं। हालांकि ये भी कम नहीं है। लेकिन किसी भी आयोग से यह आशा तो की ही जा सकती है कि वो उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों का निरीक्षण-परीक्षण करने के नवीनतम हालातों की जानकारी सरकार तक पहुँचाये। लेकिन अनुभव यही है कि प्राय: सभी आयोग नख-दंत विहीन होते हैं।

इन हालातों में लोकतंत्र का संवाहक लोक कहॉ जाकर किससे मांग करे? घूम फिर कर बात फिर से पार्टियों तक सिमट जाती हैं। और जैसा कि अनुभव होता जा रहा है। आज की पार्टियों को लोक और लोकतंत्र से कोई सीधा मतलब बचा नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर कब्जा चाहती हैं और उसके बाद भी मात्र लूटतंत्र के पालने-पोषने के अलावा वे किसी जनहित के उद्देश्य की तरफ देखना तक नहीं चाहते। तभी तो ये देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव सुधारों के नाम पर अब तक जितने भी कर्मकांड किये गये हैं उन सभी में से लोक की चाहत और इच्छा नदारद रही है।

आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर हमने तेजावाला, श्रीरामपुरा, बालावाला, डाबला खुर्द, डाबला बुजुर्ग, बाणियावाली, पंवालिया आदि गांवों का दौरा किया। इस विषय पर दर्जनों लोगों से बात की। खासियत ये रही कि सभी लोग सामान्यजन या कहे केवल वोटर थे। लेकिन सबने एकमत से कहा कि पंचायतों की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर भी रोटेशन होना चाहिये ताकि सभी को मौका मिले।इस सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षित वर्ग के लोगों ने भी रोटेशन का समर्थन किया। उनका तर्क था कि हर सीट पर एक-एक परिवार ने कब्जा कर लिया है। इससे नये नेतृत्व को उभरने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है।

राष्ट्रीय चुनाव आयोग की मजबूरी है कि वो संविधान की सीमारेखा नहीं लांघ सकता है। इसलिये हर बार उसका उत्तर वही होगा जो ऊपर दिया गया है। लेकिन यदि सीटों के रोटेशन पर सार्वजनिक सुझाव मांगे जाये तो निश्चय है कि बहुआयामी और उपयोगी सुझाव सामने आयेंगे। कहने को बार-बार कहा जाता है कि भारतीय संविधान बहुत ही लचीला है लेकिन जो मशीनरी इसे लागू करती है वो असंदिग्ध रूप से जड़ और जिद की शिकार है।

एक साधारण समझ का व्यक्ति भी यह जानता और समझता है कि शुरू में जिन शर्तों के आधार पर आरक्षित सीटों का आरक्षण किया गया था वे सारी शर्तें अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। जातियों का ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव हुआ है बल्कि जातियों की अन्तर्क्रिया से न केवल नयी जातियों का विकास हुआ है तो दूसरी जातियों का संलयन भी हुआ है। पहाड़ और मैदान अर्थात गिरिजन और अत्यंज में से कोई भी ठहरा नहीं रह सकता है। जहॉ तभी तीस हुआ करते थे वहॉ अब एक सौ तीस हो चले हैं। तो, प्रश्न आता है कि फिर आरक्षित सीटों का रोटेशन क्यों न हो??

प्रश्न का उत्तर तलाशने की इच्छा शक्ति हो तो दुनिया में सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध है। लेकिन भारत में जात आरक्षण का प्रश्न आजादी के 74 साल बाद भी अनुत्तरित है। जबकि संसद भी वही है और विधानसभाऐं तो बढी ही हैं। इसी क्रम में पार्टियों की संख्या तो बेइंतहा बढी है। याद करे कि आजादी के समय मात्र ए ओ हयूम की कांग्रेस और जनसंघ दो ही मुख्य पार्टिया थी। आज देश भर में रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या तीन हजार तक हो सकती है। कांग्रेस का रूप बदलते-बदलते बदल चुका है तो जनसंघ भी भाजपा के नये कलेवर में है। वामपंथी धारा एकदम क्षीण हो चुकी हैं और उसका स्थान क्षेत्रीय पार्टियों ने लेने का पूरा और सफल प्रयास किया है।

बहुत अधिक पार्टियों के होने से लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि भारत दुनिया के देशों में शायद अकेला है जो इन्सान को अपनी वैचारिक स्वतंत्रता की पूरी छूट देता रहा है। इसलिये भी विधानसभा/लोकसभा सीटों का रोटेशन नहीं होना अब एक कमी के रूप में खटकने लगा है। यह इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि जब देश का सबसे बड़ा वैचारिक संगठन आर एस एस का प्रमुख आरक्षण को अगले अनगिनत सालों तक आवश्यक मानता है और प्रधानमंत्री आरक्षण के कभी भी समाप्त नहीं होने की घोषण करते हैं तो सुधि लोगों को यही उचित और सार्थक प्रतीत होता है कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिये आरक्षित सीटों का रोटेशन एक कारगर उपाय हो सकता है। हॉ। अब सब कुछ को लाभ-हानि की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो सीटों के रोटेशन को भी उसी फार्मूले से देखना पड़ेगा। साफ है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आरक्षण की प्रतिशतता पर तनिक भी असर नहीं पड़ेगा। अत: विरोध भी नहीं होगा। अब पार्टियों को मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। क्योंकि आरक्षण की जड़ता ने पार्टियों की पवित्रता को भी प्रभावित किया है। थोड़ी देर के लिए देश, लोक, लोकतंत्र को भूल भी जाये तो सीटों का रोटेशन पार्टियों को भी नयी उर्जा और सोच का अवसर देगा जो अन्तत: देशहित में ही रहेगा।

संगठन ही ताकत है

एक आदमी था, जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था। अचानक किन्हीं कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा। दूसरे सदस्यों से मिलना-जुलना बंद कर दिया, संगठन से दूर हो गया। एक दिन संगठन के मुखिया उसके घर बया और देखा कि वह एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आग ताप रहा था। उसने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। लेकिन उसने देखा कि अलग किए हुए लकड़ी की आग की लौ धीरे-धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्वल प्रकाश था और आग की तपन थी वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी, मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है, कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भाँति बुझ जाता है ।

पौराणिक कथन : 'प्राण'

अंतरात्मा। गीता में इसे अन्न कहा गया है। अन्न ही ब्रह्मा है। इसी से जीव उत्पन्न होता है।

सभी खेलते जाति-जाति,
बात किसी के समझ न आती ।
धातों की बारात सजी है-
सारे अंधे बन बराती ।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

"हम सब नए अछूत....."

हमको देखो हम सवर्ण हैं
भारत माँ के पूत हैं,
लेकिन दु:ख है अब भारत में,
हम सब नए अछूत हैं।
सारे नियम सभी कानूनों ने,
हमको ही मारा है,
भारत का निर्माता देखो,
अपने घर में हारा है,
नहीं हमारे लिए नौकरी,
नहीं सीट विद्यालय में,
नहीं अपनी कोई सुनवाई,
संसद औ न्यायालय में,
हम भविष्य थे भारत माँ के,
आज बने हम भूत हैं,
बेहद दु:ख है अब भारत में,
हम सब नए अछूत हैं।
दलित महज़ आरोप लगा दे,
हमें जेल में जाना है,
हम निर्दोष नहीं हैं दोषी,
ये सबूत भी लाना है,
हम जिनको सत्ता में लाये,
छुरा उन्हींने भोंका है,
काले कानूनों की भट्ठी में,
हम सब को झोंका है,
किसको चुनें, किन्हें हम मत दें,
सारे ही यमदूत हैं,
बेहद दु:ख है अब भारत में,
हम सब नए अछूत हैं।
प्राण त्यागते हैं सीमा पर,
लड़ कर मरते हम ही हैं,
अपनी मेधा से भारत की,
सेवा करते हम ही हैं,
हर सवर्ण इस भारत माँ का,
एक अनमोल नगीना है,
अपने तो बच्चे बच्चे का,
छप्पन इंची सीना है,
भस्म हमारी महाकाल से,
लिपटी हुई भभूत है,
लेकिन दु:ख है अब भारत में,
हम सब नए अछूत हैं।
देकर खून पसीना अपना,
इस गुलशन को सींचा है,
डूबा देश रसातल में जब,
हमने बाहर खींचा है,
हमने ही भारत भूमि में,
धर्म.ध्वजा लहराई है,
सोच हमारी नभ को चूमे,
बातों में गहराई है,
हम हैं त्यागी,हम बैरागी,
हम ही तो अवधूत हैं,
बेहद दु:ख है अब भारत में,
हम सब नए अछूत है।

– सोशल मीडिया से साभार –

शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:-

जगदीश शरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी सम्मति पूर्वक भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियमन का उद्धरण दिया है; और अजय कुमार सिंह मामले में वह स्वयं ही इस नियमन को खारिज भी कर देता है-यह कहकर कि यह तो एक संस्तुति या सुझाव मात्र है, यह कोई अनिवार्य निर्देश नहीं है।

यह सच है कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति या सुझाव है; यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् एक स्वायत्त संगठन है और यह भी सच है कि उसकी संस्तुति या सुझाव केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है; लेकिन यह केवल एक परामर्श या सुझाव ही था। और भारतीय चिकित्सा परिषद् भले ही एक स्वायत्त संगठन है, लेकिन उसे भी सामान्य नीतियों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलना पड़ता है।...अजय कुमार सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय कुछ इसी तरह औचित्य-निर्धारण करता है।

अगले मामले में न्यायालय एक कदम और आगे बढ़ जाता है। उसका कहना है, यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने यह नियमन किया था, लेकिन प्रवेश-प्रक्रिया का संचालन और नियमन करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है-आखिर वे चिकित्सा एवं अन्य शिक्षा के लिए काफी कुछ अलग करके रख रही हैं। यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में किसी प्रकार के आरक्षण का निषेध करता है,"लेकिन इस शक्ति पर प्रश्न उठाने के लिए बहुत देर हो गई है।" हर मामले में-जगदीश शरण मामले में भी-सर्वोच्च न्यायालय ने पहले तो यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञता के मामले में गुणवत्ता अथवा योग्यता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता; उसके बाद दाँव बदलते हुए तुरंत कहने लगता है कि ये बातें उस आरक्षण के संदर्भ में लागू नहीं होतीं, जिनका प्रावधान अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये संवैधानिक नियम हैं-सर्वोच्च न्यायालय कहता है।

अब जरा याद करें, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता के स्तर में केई गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि यह केवल प्रवेश तक ही सीमित है और प्रवेश पा लेने के बाद आरक्षण-प्राप्त अभ्यर्थियों को भी उसी अध्ययन-प्रक्रिया से गुजरना पडेगा, जिससे अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ता है और इसी तरह उन्हें भी बिलकुल कार्य करने होंगे, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी करते हैं और उनका मूल्यांकन भी एक समान मानदंड पर किया जाएगा। इस औचित्य-निर्धारण पर चलकर सर्वोच्च न्यायालय को मानना पड़ता है कि विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञतावाले पाठ्यक्रमों में भी

> क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान बनाम के.एल.नरसिम्हन मामले में सर्वोच्च न्यायालय कहता है-

प्रश्न यह है कि क्या विशेषज्ञता अथवा अति-विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में आरक्षण का नियम लागू करने से उसकी गुणवत्ता और उत्कृष्टता में कोई ह्रास होगा ? हमारे विचार से ऐसा नहीं है। यह एक मानी हुई बात है कि किसी चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले एक छात्र को उन्हीं परीक्षा-मानदंडों से गुजरना पड़ता है, जो किसी विषय या चिकित्सा विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता अथवा अति-विशेषज्ञता के लिए सामान्य रूप से निर्धारित किए गए होते हैं। इस मामले में आरक्षण श्रेणी के अभ्यार्थियों को किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाती। उन्हें केवल पाठ्यक्रमों पी-एच.डी. विशेषज्ञता, अति-विशेषज्ञता अथवा उच्च तकनीकी-में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता अंकों में कुछ आरंभिक छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेषज्ञता अथवा अति- विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता अंक 80 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। और आरक्षण-प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पाने के लिए 10 अंकों की छूट दी गई है तो इसका अर्थ हुआ कि आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 70 प्रतिशत हैं। एक(आरक्षण श्रेणी के) चिकित्सक अथवा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर की परीक्षा उन्हीं मानदंडों के आधार पर अन्य सामान्य श्रेणी के चिकित्सकों या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को करनी पड़ती है। इस प्रकार की सुविधा श्रेणी के चिकित्सकों या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को करनी पड़ती है। इस प्रकार की सुविधा से आरक्षण-प्राप्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को नए पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाता है। इससे योग्यता या गुणवत्ता का स्तर प्रभावित नहीं होता।

इस प्रकार, आरक्षण के मामले को विस्तार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे न्याय से जोड़ दिया है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान मामले में भी वह अपनी उसी टिप्पणी को दोहराता है, जिसे हम पहले कई मामलों में देख चुके हैं-

"आरक्षण का लाभ देने से उत्कृष्टता अथवा गुणवत्ता आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं होती।" आरक्षण के जरिए प्रवेश पाने वाले छात्र के संदर्भ में भी "एक जैसे गुणवत्ता स्तर की अपेक्षा की जाती है। प्राप्तांक ही योग्यता का एकमात्र प्रमाण नहीं है।" जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय कहता है-

जैसा पहले उल्लेख किया गया, आरक्षण का लाभ देने से योग्यता या गुणवत्ता का स्तर आवश्यक रूप से नहीं गिरता। स्नातकोत्तर स्तर के विशेषज्ञता अथवा अति-विशेषज्ञतावाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के बाद प्रत्येक छात्र को संबंधित पाठ्क्रम अथवा विषय-विशेषज्ञता के लिए निर्धारित अध्ययन-प्रक्रिया ओर अर्हता स्तर से गुजरना पड़ता है, जो संबंधित डिग्री प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। इस मामले में आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। जो छात्र अन्य सामान्य श्रेणी के छात्रों के अनुसार ही स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उसका कुशलता अथवा योग्यता स्तर भी सामान्य श्रेणी के छात्रों के अनुसार ही होगा, अंतर बस इतना ही होता है कि प्रवेश के समय उसे अर्हता अंक में कुछ ढील मिली होती है। प्राप्तांक ही योग्यता का एकमात्र प्रमाण नहीं है। यह योग्यता या कुशलता व्यक्ति की मेहनत का परिणाम होती है, चाहे वह सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो अथवा आरक्षित श्रेणी का। यह व्यक्ति द्वारा चुने गए क्षेत्र या विषया में अपने कौशल, गुणवत्ता और क्षमता में सुधार लाने के लिए उसके द्वारा किए गए मानसिक श्रम का परिणाम है।

यहाँ सर्वोच्च न्यायालय वही बात स्वयं दोहराता है, जो सक्रियतावादी न्यायाधीशों द्वारा पिछले निर्णयों में उठाई जाती रही है-

इस संदर्भ में यह सामान्य ज्ञान की बात है कि अंक कई अलग-अलग तरह से अर्जित किए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि प्राप्तांक ही आवश्यक रूप से योग्यता, कुशलता या गुणवत्ता का सूचक है। अंक तो आंतरिक (गृह) परीक्षा में जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग आदि के आधार पर दिए जाते है।

यहाँ रूककर विचार करना होगा-'अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग आदि के आधार पर दिए जाते हैं।' क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म' संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

मनमानी पर आक्रामक हुआ समता आन्दोलन

जयपुर। संभवत: पहली बार आरक्षण के प्रावधानों और अदालती आदेशों की अवज्ञा के लिए समता आन्दोलन समिति ने भारत सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी को विधिक पत्र लिखकर इनकम टैक्स के तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक धारा 197 सीपीसी के तहत थाने में एफ आई आर दर्ज करने की आज्ञा मांगी गई है।

ये पुरूषार्थ करने वाले समता आन्दोलन का मत है कि राजस्थान स्थित इन्कमटैक्स मुख्य कार्यालय के तीन अधिकारियों क्रमश: नीना निगम, पीसीसीआईटी, अजय चन्द्रा, सीआईटी एवं दिनेश बडगूजर, सीआईटी ने अपने पर का दुरूपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है।

डा0 अजय भूषण पाण्डे, केन्द्रीय रेवेन्यू सचिव को समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा द्वारा लिखे गये दो पृष्ठीय पत्र में तथ्यों सहित कहा गया है कि उपरोक्त तीनों अधिकारी अपने पद की विधिक सीमाऐं लांघकर आपराधिक मनमानी का परिचय दे रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर जो अधिकारी अदालती आदेश के तहत नया पद संभाल चुके हैं उन्हें उनका न्यायसंगत कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इससे भी आगे और बड़ा आर्थिक अपराध ये किया जा रहा है कि उपरोक्त तीनों अधिकारी अदालती आदेश से नया पद संभालने वाले अधिकारियों को नये पद के वेतन और भत्तों से भी वंचित कर रहे है।

दूसरी बात ये कि जो अधिकारी अदालती आदेश के तहत पदावनत हुए है उन्हें उनके अविधिक पदों पर रखकर वेतन और भत्ता दिया जा रहा है। यही नहीं पदावनत अधिकारियों को अनुचित संरक्षण देकर उपरोक्त तीनों अधिकारी आई.टी. एक्ट का खुला उल्लंघन करके उनसे अनाधिकृत काम करवाया जा रहा है।

पत्र में संविधान की धारा 144 का उल्लेख करके स्पष्ट किया गया है कि कैट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से संबंधित है लेकिन उपरोक्त तीनों अधिकारी उसकी अवज्ञा करके संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कैट का अपमान कर रहे है।

समता आन्दोलन समिति ने पत्र में प्रार्थना की है कि दिये गये तथ्यों के आधार पर चर्चित तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करवाये और धारा 197 सीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान करे।

इस पत्र की प्रतिलिपि उपरोक्त तीनों अधिकारियों को भी दी गई है। पता लगा है कि इन्कम टैक्स विभाग में जयपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है।

फिर से क्षेत्रों में बंटता भारत

क्या भारत चीन बनता जा रहा है? पिछले कुछ दृष्टांत इस प्रश्न को पुष्ट करते प्रतीत होते है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रित संघराज्य है। लेकिन प्रदेश सरकारे जिस तरह स्थानीय स्वार्थों और नासमझी के प्रभाव में काम कर रही हैं वो बड़े लेकिन ऋणात्मक संकेत हैं।

सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा उठाकर स्थानीय नागरिकों को आरक्षण देने की बात की गई। फिर मराठा के नाम पर आरक्षण का कानून बनाया गया। दोनों बार न्यायपालिका ने इसे संविधान के खिलाफ माना। फिर दिल्ली में ''आप'' की सरकार ने ऐसा कदम उठाना चाहा तो न्यायपालिका ने उसे भी रोक दिया।

अब एकदम ताजा उदाहरण मध्यप्रदेश सरकार का है जिसने 25 सीटों के उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि वहाँ सरकारी नौकरी केवल मध्यप्रदेश के निवासी युवाओं को मिलेगी। उनका यह ऐलान केन्द्र सरकार की स्वीकृत नौकरी परीक्षा योजना के ठीक विपरीत है। साथ ही संविधान में केवल भौगोलिक आधार पर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को नौकरी के अधिकार से वंचिन नहीं किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार का यह तुगलकी फरमान नया नहीं है। देश के लगभग 18 प्रदेशों ने स्थाई कानून या नियम तो नहीं बनाए हैं लेकिन अलग-अलग भर्तियों में इस प्रकार की बाध्यताऐं जोड़ दी हैं कि बाहरी राज्य के युवा आवेदन ही न कर पायें। बिना नियम और कानून के ऐसी व्यवस्था कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये 18 प्रदेश इस आशंका को जन्म देते हैं कि आरक्षण का विष और किस-किस रूप में सामने आने वाला है।

इस प्रकार की सरकारी मनमानी फिर रूकती नहीं है। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैंदान में ये बड़ी घोषण कर दी कि सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी-ओबीसी का आरक्षण बढाने के लिए समिति का गठन होगा और निजि क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर भी सरकार काम कर रही है।

साथ ही बड़ा और भयानक खतरा ये है कि सरदार पटेल ने संविधान का सहारा लेकर लगभग साढे छ: सौ रियासतों को एक झंडे तले इकठ्ठा किया और अब देश की राज्य सरकारें बिना संविधान का सहारा लिय अपनी ढपली अपना राग के मार्ग पर चलना चाहती हैं? कोई करे भी तो क्या करे? देश के स्वतंत्रता संग्राम की गोद में पैदा हुए लौह पुरूष का नया अवतार आखिर आयेगा कहाँ से? देश का सावधान होना जरूरी है। - समता डेस्क

ओ.बी.सी. कोटा तीन भागों में विभाजित होगा ?

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में गठित ओ.बी.सी. कमिशन ने ओ.बी.सी. कोटा को तीन भाग में विभाजित करने की सिफारिश की है

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 में गठित अदर बैकवर्ड क्लासेस (ओबीसी) कमिशन ओबीसी कोटा को सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में तीन समूहों में बांटने की सिफारिश करने पर विचार कर रहा है ताकि समस्त समुदायों के लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके।

इस आयोग का कार्यकाल अभी पिछले माह ही नवीं बार जनवरी 2021 तक बढाया गया है। वह अब इन सिफारिशों के साथ अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि किस प्रकार की ओबीसी के सभी समुदायों को इसका लाभ प्राप्त हो सके जबकि वर्तमान व्यवस्था में लगभग 5000 समुदायों में से कुछ दर्जनभर जातियों ने इस कोटा व्यवस्था के तहत लगभग आधी नौकरियों व युनिवर्सिटी की सीटों को हथिया लिया है तथा बड़ी संख्या में अन्य समुदायों का शून्य या शून्य के समकक्ष प्रतिनिधित्व है।

ड्राफ्ट रिपोर्ट में ओबीसी को तीन अलग-अलग समूह में विभाजित करने की सिफारिश की गई है। जिन समुदायों का ओबीसी की जनसंख्या की तुलना में नौकरियों में हिस्सेदारी ज्यादा है उन्हें ग्रुप ए में रखा जायेगा। जिनकी जनसंख्या की तुलना में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त रहा है उन्हें ग्रुप बी में रखा जायेगा और वे समुदाय जिनका नौकरियों व शिक्षा में प्रतिनिधित्व शून्य या लगभग शून्य रहा है उन्हें ग्रुप सी में रखा जायेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस तरह से यह सुनिश्चित होगा कि सभी को आरक्षण ओबीसी में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार मिलेगा क्योंकि जो लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते है उनका ग्रुप एक साथ बनाया गया है।

जिन समुदायों को ए ग्रुप में रखा गया है वे केवल उसी ग्रुप के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो सके। इसमें केवल अड़चन एक यह है कि रोहिणी आयोग ओबीसी की जनसंख्या में विभिन्न उप जातियों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए 1931 में सम्पन्न ब्रिटिश कालीन जातिय जनगणना का आंकड़ा ले रहा है। इससे इस कार्य के लिए नवीनतम डाटा का उपयोग करना चाहिये था परन्तु सरकार ने वर्ष 2011 में हुई सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना के ओबीसी आंकड़ों को रोक रखा है।

आयोग ने यह फार्मूला इस बात को मद्देनजर रखते हुये तैयार किया है ताकि ओबीसी के विभिन्न समूह को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोटा का उपवर्गीकरण किया जा सके क्योंकि ऐसा कई राज्यों ने उनके ओबीसी कोटा में उप कोटा सर्जित किया है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि जिन समुदायों का 40 प्रविष्टियों वाली सूची में नाम है वे ओबीसी आरक्षण का 50 प्रतिशत स्वयं उपभाग कर चुकी है और छोटी जातियों के लिए बहुत छोटा हिस्सा शेष बचा है। ओबीसी के अनेक समूह सवाल करते है कि 1931 के डेटा के आधार पर रिपोर्ट बनाने का क्या मतलब है क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 90 वर्षों में ओबीसी का सामाजिक स्तर काफी बदल गया है और पुराने डेटा के प्रयोग से उन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है।

वे यह भी शिकायत करते है कि ओबीसी के केन्द्र सरकार की नौकरियों में बहुत ही अल्प 14 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है जबकि आरक्षण की व्यवस्था 27 प्रतिशत की गई है।

यह 1980 की बात है जब मंडल कमीशन 1931 की जनगणना के डाटा का विश्लेषण किया था और पाया था कि ओबीसी देश की जनसंख्या का 52 प्रतिशत है। और उसमें ओबीसी की केटेगरी में आने वाले समुदायों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था।

वी.पी. सिंह की सरकार ने वर्ष 1990 में इस आरक्षण को केन्द्र सरकार की नौकरियों में लागू करने का निर्णय किया था। इस आरक्षण का क्रियान्वयन सुप्रीम कोर्ट की हरी झण्डी के बाद वर्ष 1993 में शुरू हुआ था। 27 प्रतिशत का यह आरक्षण कोटा केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों वर्ष 2008 में लागू हुआ था।

मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में राहिणी आयोग का गठन यह सुझाव देने के लिए किया था कि आरक्षण कोटा के उप विभाजन तरीके सुझाये ताकि आरक्षण के लाभों का बंटवारा समान रूप से किया जा सके। ओबीसी की संयुक्त कार्यवाही समिति ने आयोग के प्रतिवेदन को इस आधार पर अदालत में चुनौति देने की धमकी दी है कि आयोग ने ओबीसी के विभिन्न समुदायों को नौकरियों व शिक्षा में तथा उनके सामाजिक स्तर को समझने के लिए सम्पूर्ण देश में कही भी कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं की है।

हालांकि आयोग के सूत्रों ने इन आरोपों को बकवास बताते हुये कहा है कि आयोग ने व्यापक स्तर पर सलाह मशविरा किया है और ओबीसी के लगभग 70 विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के साथ चर्चा की है इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के समाज कल्याण विभागों के साथ भी परामर्श किया है। इसके साथ ही अधिकारियों व इन समुदायों के नेताओं के साथ पांच क्षेत्रीय बैठक भी की है।

ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ ओबीसी के सचिव जी करूणानिधि ने कहा है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में आयोग का गठन उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों के ओबीसी वाले भू स्वामियों को निशाना बनाने के लिए यह समझते हुये किया था कि ये लोग भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करते है अत: अधिकांश ओबीसी कोटा वालों को दरकिनार किया जाये।

उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुये कहा कि सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को इसलिए दबा सकती है क्योंकि सरकार को अब यह नया अहसास हुआ है कि उत्तर प्रदेश व बिहार में यादव व जाटों का एक प्रमुख वर्ग, कर्नाटक में वोक्कालिगा व महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय भाजपा के पक्ष में वोट डाल रहा है।

कमिशन का मानना है कि 5000 जातियों के आरक्षित कोटा का 50 प्रतिशत हिस्सा कुछ दर्जन ओ.बी.सी. जातियाँ ही ले लेती हैं और बाकी जातियाँ कोटा से वंचित रह जाती हैं।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in